भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2644
जिसका उत्तर मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

यूरो पांच/छह मानक का कार्यान्वयन

2644. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी चौपहिया वाहन यूरो-चार/भारत स्टेज-चार का अनुपालन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में यूरो पांच/छह मानक के कार्यान्वयन में तेजी लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क) और (ख): महोदया, देश में चौपहिया वाहन सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.जीएसआर. 643(ई) दिनांक 19.08.2015 के अनुसार, सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में बीएस IV मानकों के अनुरूप हैं।

(ग) और (घ): महोदया, ऑटो ईंधन नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार सारे देश में बीएस V और बीएस VI उत्सर्जनमानदण्ड क्रमश: 2020 और 2024 तक लागू करने के लिए सहमति हो गई है। तथापि, वायु की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए, इस समय सीमा को घटाने के चुनौतीपूर्ण कार्य पर सहमति बन गई है। इस संबंध में, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रेणी एम और श्रेणी एन वाहनों के 1 अप्रैल, 2019 को या इसके बाद विनिर्मित नए मॉडलों तथा 1 अप्रैल, 2020 को या इसके बाद मौजूदा मॉडलों के लिए भारत स्टेज (बीएस V) सार्वजनिक उत्सर्जन मानक तथा श्रेणी एम और श्रेणी एन वाहनों के 1 अप्रैल, 2021 को या इसके बाद विनिर्मित नए मॉडलों तथा 1 अप्रैल, 2022 को या इसके बाद मौजूदा मॉडलों के लिए भारत स्टेज (बीएस VI) सार्वजनिक उत्सर्जन मानक अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए अधिसूचना का मसौदा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*****